उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–1
संख्या : 303964 / E-77886 /XXVII(1) / 2025
देहरादून : दिनांक 06 जून, 2025

कार्यालय ज्ञाप

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा अपने कार्यालय ज्ञाप F.NO. 1(27/)PFMS/2020 **दिनांक 13.07.2023** के माध्यम से केन्द्र पोषित योजनाओं से सम्बन्धित धनराशि को "Just in time release" प्रणाली में अवमुक्त किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा Alternate fund flow mechanism अर्थात SNA–SPARSH (समायोचित प्रणाली एकीकृत शीघ्र हस्तान्तरण–Real time system of integrated quick transfers) की व्यवस्था स्थापित की गयी है जिसे PFMS, State IFMS एवं R.B.I के ई–कुबेर के मध्य integration के माध्यम से किया जाना है। भारत सरकार द्वारा अपने पत्रांक–F.NO. 1(27/)PFMS/2020 **दिनांक 21.05.2024** के माध्यम से केन्द्र पोषित योजनाओं के संचालन हेतु उपरिवर्णित SNA SPARSH की व्यवस्था में उत्तराखण्ड राज्य को भी सम्मिलित करने के निर्देश दिये गये। उपरोक्त के क्रम में वित्त विभाग के पत्र संख्या F1N1/40/2023-XXVII-1-Finance Department **दिनांक 24.07.2024** के माध्यम से समस्त विभागों को SNA SPARSH के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए वांछित कार्यवाही सम्पादित करने हेतु सूचित किया गया है।

2– वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–2026 में IFMS के अन्तर्गत SNA SPARSH MODULE में शासनादेश सं0–I/252492/07(150)2020/XXVII(1)/2024 **दिनांक 08.11.2024** के बिन्दु संख्या 04 के क्रम में CSS योजनाओंको Single Line Code में संचालित करने हेतु मानक मद 70 (केन्द्रांश), 71 (राज्यांश) एवं 72 (टॉप–अप) में पृथकीकृत करते हुये बजट की व्यवस्था की गयी है, जिस हेतु IFMS के अन्तर्गत SNA SPARSH मॉडयूल में आवश्यक संशोधन कर लिये गये हैं।

3– तदनुसार भारत सरकार द्वारा समय–समय पर प्रदत्त दिशानिर्देशानुसार SNA SPARSH MODULE में सम्मिलित की जाने वाली केन्द्र पोषित योजनाओं के संचालन हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा निम्नवत् मानक संचालन प्रक्रिया / SOP का पालन सुनिश्चित किया जायेगा :–

1. सर्वप्रथम किसी भी नवीन योजना को SNA SPARSH Module में संचालित किये जाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक (आर0बी0आई) में SLS (State Link Scheme wise) एकाउन्ट खोला जाना अनिवार्य है, जिस हेतु SNA SPARSH–SOP में उक्त प्रक्रिया आवश्यक प्रारुपों सहित विस्तार से वर्णित की गयी है।
2. SLS एकाउन्ट खोले जाने के उपरान्त उक्त नवीन खातों की मैपिंग PFMS पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, जिसको SNA SPARSH –SOP में विस्तार से वर्णित किया गया है।
3. तदोपरान्त सम्बन्धित विभाग को IFMS के HOD Budget operator के Login द्वारा Budget tab में PFMS Master (CSS) - SNA Master for CSS- SNA Sparsh Scheme option में जाकर वाँछित Details भरते हुए उचित बजट हेड कोड मैप करते हुये अप्रूव किया जाना होगा जिसके पश्चात् बजट निदेशालय द्वारा PFMS PORTAL पर सम्बन्धित स्कीम के बजट हैड से भारत सरकार के फंक्शन हेड की मैपिंग अप्रूव किये जाने के उपरान्त IFMS पोर्टल में Login करते हुए SNA Master Approval में जाकर विभागीय HOD आई0डी से प्राप्त मैपिंग request को Approve किया जाना होगा।
4. सम्बन्धित मत्रांलय से Mother Sanction प्राप्ति के उपरान्त विभाग को प्रशासकीय विभाग के माध्यम

से फंडिग पैर्टन के अनुरुप राज्यांश की धनराशि सम्बन्धित **SSM (State Scheme Manager)** को मानक मद 71 में आवंटित की जायेगी, जिसको विभागाध्यक्ष स्तर से स्वीकृत/Approve किया जाएगा। यदि किसी योजना का फडिंग पैर्टन 100:00 के अनुपात में है, तो राज्यांश आवंटन नहीं किया जायेगा।

- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में SNA SPARSH योजना में सम्मिलित होने वाली ऐसी योजनाऐं, जिनके सापेक्ष उचित लेखाशीर्षक बजट साहित्य में विद्यमान न हो, उनके संदर्भ में आकस्मिक व्यवस्था (Contigency) के अन्तर्गत लेखाशीर्षक खोलकर बजट की व्यवस्था की जायेगी।, उस परिस्थिति में सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा मानक मद 70 (केन्द्रांश), 71 (राज्यांश) एवं 72 (टॉप–अप, यदि आवश्यक हो) में धनराशि आवंटित कराई जाएगी। उक्त आवंटन आई.डी. प्रशासकीय विभाग के स्तर से create किये जाने के उपरान्त वित्त अनुभाग–1 द्वारा Approve की जायेगी। उक्तानुसार मानक मद 70 में स्वीकृत की गयी धनराशि को SNA SPARSH में वित्तीय वर्ष हेतु उस लेखाशीर्षक के लिए प्राविधानित धनराशि समझा जायेगा। मानक मद 71 एवं 72 से सम्बन्धित आवंटन आई.डी. को वित्त अनुभाग–1 द्वारा Approve करने के उपरान्त बिन्दु संख्या 03 में वर्णित आवंटन सम्बन्धित अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
- SNA SPARSH में सम्मिलित होने वाली ऐसी केन्द्रपोषित योजनाऐं, जिनमें मानक मद 14 में धनराशि का प्रावधान किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में मानक मद 14 से प्राविधानित धनराशि मानक मद 70, 71 एवं 72 में पुर्नविनियोग करवाते हुये अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

5. उक्तानुसार राज्यांश लेखाशीर्षक में धनराशि आवंटन होने के पश्चात् S S M द्वारा https://ifmsSPARSH.uk.gov.in/login.aspx पर लॉगिन करते हुये Implementing Agencies क्रियेट की जायेंगी, एवं Implementing Agencies के एडमिन द्वारा बनाए गये Checker/Approver को State Scheme Manager के Officer द्वारा Approve किया जाएगा। विभिन्न SLS के अन्तर्गत सम्बन्धित Implementing Agencies को limit आवंटन की कार्यवाही भी SNA SPARSH Module के माध्यम से की जायेगी, जिसका विस्तृत वर्णन SNA SPARSH–SOP में किया गया है।
6. SSM (State Scheme Manager) द्वारा विभिन्न SLS खातों में प्राप्त केन्द्रांश को राज्य के उचित प्राप्ति मद (1601–06–101–XX-XX) में बुक किये जाने हेतु बजट साहित्य के अनुसार सम्बन्धित योजना के प्राप्ति लेखाशीर्षक का चयन करते हये बजट निदेशालय द्वारा स्वीकृत (Approve) किया जायेगा, जिससे राज्य की प्राप्तियों का उचित लेखांकन सुनिश्चित किया जा सके।
7. Implementing Agencies द्वारा IFMS SNA SPARSH Module में लॉगिन कर भुगतान हेतु सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करते हुये देयक बनाये जायेंगे। SNA SPARSH प्रणाली में बिलों को कोषागार में प्रेषित करने से पूर्व संबंधित योजना प्रभारी एवं Implementing Agencies द्वारा विभिन्न लेखा नियमों एवं उत्तराखण्ड कोषागार नियमावली के निर्देशों के पालन के साथ–साथ निम्नानुसार पूर्तियां कर बिलों का प्रेषण Cyber Treasury में सुनिश्चित किया जाएगा, यथा :–
    1. विभिन्न लाभार्थियों को अनुदान भुगतान से संबंधित बिल के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध भुगतान स्वीकृति, जिसमें लाभार्थी की पूर्ण जानकारी (बैंक खाता विवरण, कम्पोनेंट बजट हैड आदि) का सही विवरण अंकित हो।
    2 निर्माण कार्यों से संबंधित बिल के साथ –

- कार्य आदेश की प्रति
- सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित बिल
- कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र, Competent Time Extension Certificate, Competent Extra Item Sanction, Royalty Certificate एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज (आवश्यकतानुसार)

3. योजना से संबंधित प्रशासनिक मद से संबंधित बिल के साथ –

- कार्य आदेश की प्रति
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी भुगतान स्वीकृति आदेश
- भुगतान वाउचर पर अन्य आवश्यक नियमानुसार पूर्तियां

8. SNA SPARSH में केन्द्रपोषित योजना के अन्तर्गत भुगतान हेतु कोषागार को प्रेषित किये जाने वाले Bill/Claim/Invoice/Supporting Documents के सही होने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित Implementing Agency का ही होगा, जिस हेतु विभाग द्वारा क्रियान्वयन संस्था के स्तर पर कार्यालय प्रक्रिया निर्धारित कराई जाए। SNA SPARSH प्रणाली के अंतर्गत संचालित केन्द्रपोषित योजनाओं के संव्यवहारों हेतु विभागाध्यक्ष द्वारा नियुक्त **Implementing Agencies के ऑफिसर द्वारा आहरण–वितरण अधिकारी (DDO) के रुप में कार्य किया जायेगा,** जिस आदेश की प्रति साईबर कोषागार को अनिवार्यतः प्रेषित की जायेगी। उक्त प्रयोजन हेतु SNA SPARSH Module के माध्यम से सिस्टम जनरेटेड Implementing Agency code को ही डी.डी.ओ. कोड समझा जाये।

9. उक्तानुसार प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के उपरान्त कोषागार को प्रेषित SNA SPARSH से सम्बन्धित बिलों हेतु सम्पूर्ण उत्तरदायित्व Implementing Agencies का होने के क्रम में Cyber Treasury के स्तर पर बिलों का निस्तारण तात्कालिक रुप से प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। Cyber Treasury के स्तर पर पारण हेतु प्राप्त बिलों के निस्तारण से सम्बन्धित आवश्यक कार्यवाही की जायेगी एवं विशेष अपरिहार्य परिस्थितियों में ही आपत्ति लगाई जाये, यथा –

1. कार्य आदेश, भुगतान स्वीकृति आदेश, Invoice अथवा जनरेटेड बिल की धनराशि (Gross and Net) में भिन्नता।
2. कटौतियों हेतु अनुचित लेखाशीर्षक अथवा बैंक एकाउन्ट, जैसी भी स्थिति हो, का प्रयोग।
3. सम्बन्धित आवश्यक अभिलेखों के अभाव में।

10. भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप F.NO.1(27/)PFMS/2020 दिनांक 13.07.2023 में विहित प्रक्रियानुसार केन्द्रपोषित योजनाओं से संबंधित SNA SPARSH में संचालित राज्य सरकार की योजनाओं के समस्त भुगतानों की अधिकृति (Authorization), SLS wise Consolidation कर PFMS को प्रेषण, आर.बी.आई. से भुगतान, लेखांकन एवं महालेखाकार कार्यालय को सभी योजनाओं का मासिक लेखा प्रेषण कार्य State Cyber Treasury द्वारा किया जाएगा।

11. Implementing Agencies द्वारा भुगतानित देयकों में की जा रही विभिन्न कटौतियों यथा, GST TDS, Income Tax TDS, Royalty, Labour Cess, Security Deduction आदि की व्यवस्था भी सिस्टम में की गयी है। उक्त कटौतियों के सापेक्ष सिस्टम से रिपोर्ट भी प्राप्त की जा सकती है एवं तत्क्रम में Security

Refund आदि की कार्यवाही भी SNA SPARSH मॉडयूल से किये जाने की व्यवस्था की गयी है। उक्तानुसार कटौतियों से सम्बन्धित वर्तमान में विद्यमान सुसंगत नियमों के अनुसार ही कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

12. SNA SPARSH से सम्बन्धित सभी आवश्यक रिपोर्ट एवं MIS सम्बन्धित Implementing Agencies, SSM, State Cyber Treasury, Budget Department, UKPFMS एवं महालेखाकार कार्यालय के IFMS Login पर प्रदान की गयी हैं। यदि भविष्य में किसी भी कार्यालय को उक्त के अतिरिक्त किसी पृथक रिपोर्ट अथवा वर्तमान में विद्यमान रिपोर्ट में संशोधन की आवश्यकता हो, तो वांछित प्रारुप संलग्न कर, वित्तीय डेटा सेन्टर, निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी कार्यालय को सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है।
13. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर यदि मानक मद 71 एवं 72 में आवंटित बजट शेष रह जाता है तो SSM द्वारा बजट समर्पण की कार्यवाही सामान्य प्रक्रिया के अनुसार ही की जायेगी। विभिन्न योजनाओं के SLS खातों में प्राप्त केन्द्रांश की ऐसी धनराशि, जिसके सापेक्ष लाभार्थियों को उसी वित्तीय वर्ष में भुगतान न हो पाया हो, को भारतकोष में जमा किये जाने की विस्तृत प्रक्रिया SNA SPARSH-SOP में वर्णित की गयी है, जिसे SSM/विभाग द्वारा बजट निदेशालय से समन्वय स्थापित करते हुए उक्तानुसार सम्पादित कराया जाना होगा।
14. विगत एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में ऐसी CSS योजनाओं, जो SNA SPARSH में क्रियान्वित हो चुकी हैं, के संदर्भ में विभिन्न एजेन्सी बैंको में पूर्व से संचालित SNA खातों को तत्काल प्रभाव से निष्क्रिय करते हुए अवशेष धनराशि को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, पी.एफ.एम.एस. के कार्यालय ज्ञाप संख्या F.NO. 1(27/)PFMS/2020 दिनांक 16-01-2024 में वर्णित व्यवस्था के अनुरुप निस्तारण की कार्यवाही सम्पन्न करते हुए बजट निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
15. SNA SPARSH से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी हेतु IFMS के सर्पोट मॉडयूल में जाकर SNA SPARSH की SOP प्राप्त की जा सकती है।
16. उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

Digitally signed by
Dilip Jawalkar
Date: 05-06-2025
13:24:15

(दिलीप जावलकर)
सचिव

संख्या : 303964 /E- 77886/XXVII(1)/2025 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
4. निदेशक, बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून, उत्तराखण्ड।
8. मुख्य कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी।
9. गार्ड फाईल।